रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 127] नई दिल्ली, शुक्रवार, फरवरी 22, 2019/फाल्गुन 3, 1940
No. 127] NEW DELHI, FRIDAY, FEBRUARY 22, 2019/PHALGUNA 3, 1940

कारपोरेट कार्य मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 21 फरवरी, 2019

सा.का.नि. 143(अ).—केंद्रीय सरकार, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 469 की उपधारा (1) और उपधारा (2) के साथ पठित धारा 396, धारा 398, धारा 399, धारा 403 और धारा 404 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, कंपनी (रजिस्ट्रीकरण कार्यालय और फीस) नियम, 2014 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्:-

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम कंपनी (रजिस्ट्रीकरण कार्यालय और शुल्क) संशोधन नियम, 2019 है।

(2) ये राजपत्र में तारीख 25 फरवरी, 2019 को प्रवृत्त होंगे।

2. कंपनी (रजिस्ट्रीकरण कार्यालय और फीस) नियम, 2014 के उपाबंध में, कंपनी (निदेशकों की नियुक्ति और अर्हता) नियम, 2014 के नियम 12क के अधीन ई-प्ररूप डीआईआर-3 केवाईसी फाइल करने हेतु फीस से संबंधित मद VII के पश्चात्, निम्नलिखित मद अंत:स्थापित की जाएगी, अर्थात्:-

"VIII. कंपनी (निगमन) नियम, 2014 के नियम 25क के अधीन ई-प्ररूप एक्टिव फाइल करने हेतु फीस।

(i) ई-प्ररूप एक्टिव पर तारीख 25.04.2019 तक संदेय	
(ii) संदेय फीस (विलंब के मामले में)	10,000/- रुपये

[फा. सं. 01/16/2013-सीएल.V(पार्ट-I)]
के. वी. आर. मूर्ति, संयुक्त सचिव

टिप्पण: मूल नियम भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (i) में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 268(अ) तारीख 31 मार्च, 2014 द्वारा प्रकाशित किए गए थे तथा तत्पश्चात् निम्नलिखित द्वारा संशोधित किए गए –

क्र. सं.	अधिसूचना संख्या	अधिसूचना की तारीख
1.	सा.का.नि.297(अ)	28.04.2014
2.	सा.का.नि.122(अ)	24.02.2015
3.	सा.का.नि.438(अ)	29.05.2015
4.	सा.का.नि.493(अ)	06.05.2016
5.	सा.का.नि.48(अ)	20.01.2018
6.	सा.का.नि.435(अ)	07.05.2018
7.	सा.का.नि.616(अ)	05.07.2018
8.	सा.का.नि.797(अ)	21.08.2018
9.	सा.का.नि.905(अ)	20.09.2018

IndiaCode

MINISTRY OF CORPORATE AFFAIRS

NOTIFICATION

New Delhi, the 21st February, 2019

G.S.R. 143(E).— In exercise of the powers conferred by sections 396, 398, 399, 403 and 404 read with sub-sections (1) and (2) of section 469 of the Companies Act, 2013 (18 of 2013), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Companies (Registration Offices and Fees) Rules, 2014, namely:—

1. (1) These rules may be called the Companies (Registration Offices and Fees) Amendment Rules, 2019.

(2) They shall come into force with effect from 25th February, 2019.

2. In the Companies (Registration Offices and Fees) Rules, 2014, in the Annexure, after item VII relating to Fees for filing e-Form DIR-3 KYC under rule 12A of the Companies (Appointment and Qualification of Directors) Rules, 2014, the following item shall inserted, namely:-"VIII. FEE FOR FILING e-Form ACTIVE under rule 25A of the Companies (Incorporation) Rules, 2014.

(i) Fee payable till 25.04.2019 on e -form ACTIVE	----
(ii) Fee payable (in delayed case).	Rs.10,000

[F. No. 01/16/2013-CL-V (Pt-I)]

K. V. R. MURTY, Jt. Secy.

Note : The principal rules were published in the Gazette of India, Part II, Extraordinary, Section 3, Sub-section (i) *vide* number G.S.R. 268(E), dated the 31st March, 2014 and subsequently amended by:—

Serial Number	Notification Number	Notification Date
1.	G.S.R. 297(E)	28-04-2014
2.	G.S.R. 122(E)	24-02-2015
3.	G.S.R. 438 (E)	29-05-2015

4.	G.S.R. 493(E)	06-05-2016
5.	G.S.R. 48(E)	20-01-2018
6.	G.S.R. 435(E)	07-05-2018
7.	G.S.R.616 (E)	05-07-2018
8.	G.S.R.797 (E)	21-08-2018
9.	G.S.R.905(E)	20-09-2018

IndiaCode

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

MANOJ KUMAR VERMA
Digitally signed by MANOJ KUMAR VERMA
Date: 2019.02.23 16:28:01 +05'30'